

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 30 अगस्त, 2012

विषय : भूमि अर्जन प्रस्ताव की धारा 4(1)/17 के प्रकाशन में भेजने हेतु अग्रिम प्रतिकर 10 प्रतिशत रू0 2,23,109/- व अध्याप्ति व्यय 10 प्रतिशत 2,23,014/- कुल धनराशि रू0 4,46,123/- आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1291/उ0जि0अ0-कै0/रिट भूमि मुआवजा/2012, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों को पुर्नवास किये जाने हेतु जनपद बहराइच की तहसील कैसरगंज के राजस्व ग्राम-परसा की 0.967 हे0 भूमि अधिग्रहण के माध्यम से नियमानुसार भूमि क्रय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रू0 4,46,123/- (रूपये चार लाख छियालिस हजार एक सौ तेइस मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-प्राकृतिक आपदायें-08-प्रदेश में विस्थापितों के पुर्नवास हेतु भूमि क्रय-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा, तथा यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा।

4. तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों को पुर्नस्थापित किये जाने हेतु भूमि का क्रय कर निःशुल्क आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2010/1-10-2012-33(37)/12-टी0सी0-1, दिनांक 31 जुलाई, 2012 में उल्लिखित व्यवस्था/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-5-670/X-2012, दिनांक 29 अगस्त, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

7. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,
(एल० वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-यू०ओ०-५०(१)१-१०-२०१२, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद
- 2-मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
- 3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 6-मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बहराइच।
- 7-वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-५।
- 8-समीक्षा अधिकारी (लेखा), राजस्व अनुभाग-१०/राजस्व अनुभाग-११/१२ राजस्व अनुभाग-१३/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9-निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ०प्र० शासन।
- 10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Rind:
(आर० एन० द्विवेदी)
अनु सचिव।